25/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बाद तैमिल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

बहस सुना

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

प्रकरण संख्या :— 17 / 2013

रजू दिनांक :— 19—09—2013

पीठासीन अधिकारी

श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

रामसिंह पुत्र लड्डूसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अपीलान्ट)

बनाम

1. पप्पूसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह कथित दत्तक पुत्र कालूसिंह जाति दरोगा कोठारी निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
3. ग्राम पंचायत डिगो पंचायत समिति लालसोट जरिये सरपंच

(रेस्पोडेन्टस)

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत डिगो दिनांक 07—01—2007 नामान्तकरण संख्या 1663 वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा (रिमाण्ड)

निर्णय दिनांक : 25—07—2022

उपस्थित :— 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट

2. रेस्पोडेन्टस की एतरफा कार्यवाही

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपील निर्णय ग्राम पंचायत डिगो पंचायत समिति लालसोट दिनांक 07—01—2007 बाबत् नामान्तकरण संख्या 1663 वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट के विरूद्व अपीलान्ट रामसिंह पुत्र लड्डुसिंह जाति दरोगा कोठारी निवासी डिगो तहसील लालसोट द्वारा इस आशय की पेश की कालूसिंह पुत्र श्री किशन दरोगा निवासी डिगो को खसरा नं0 166 मिन वाकै ग्राम डिगो में से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त आंवटन कर कालूसिंह को गैरखातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। उक्त भूमि का कालूसिंह गैरखातेदार था। कालूसिंह लाऔलाद फौत हो गया। कालूसिंह ने

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner

अपने जीवनकाल में किसी को कोई वसीयत नही की थी न ही किसी को गोद लिया था। कालूसिंह की मृत्योपरान्त उसके सारे कियाकर्म, द्वादशा वगै0 उसके खाम भाईयो ने सम्पन्न किये थे। कालूसिंह के जगन्नाथसिंह, हरनाथसिंह, गोविन्दसिंह, प्रहलादसिंह, रामप्रसादसिंह, लड्डुसिंह खास भाई थे। कालूसिंह की विरासत के अधिकारी उसके सभी भाई थे। परन्तु जगन्नाथ सिंह के लडके पप्पूसिंह ने तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच व तत्कालीन पटवारी हल्का से साज कर कालूसिंह की मृत्योपरान्त गलत व अवैध तरीके से कालूसिंह का दत्तकपुत्र बनकर गुपचुप मे नामान्तकरण संख्या 1663 वाकै ग्राम डिगो दिनांक 07–01–2007 को तस्दीक करवा लिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट जारी की गई तथा उक्त प्रकरण तलबी की स्टेज पर ही पत्रावली मे तारीख पेशी दिंनाक 22–06–2015 अंकित की थी। राजस्व लोक अदाल कैम्प खटुम्बर मे दिनांक 17–06–2015 को पत्रावली का अवलोकन कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमा दी गई। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त संम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को पक्षकारो की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे पुनः निर्णय पारित करने हेतू प्रतिप्रेषित किया। पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

प्रकरण को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26–10–2018 को पुनः नम्बर पर लिया गया। जिसमे दिनांक 16–08–2019 को अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दिनांक 12–07–2021 को रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार शर्मा ने निवेदन किया की प्रकरण अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है। इसलिए पक्षकारो को सूचना हेतू नोटिस जारी होने पर ही प्रकरण की सुनवाई की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट के निवेदन पर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से जारी होने के आदेश हुए। जिसकी पालना मे दिनांक 17–07–2021 को रेस्पोडेन्टस को रजिस्टर्ड ए0डी0 से नोटिस जारी किये गये। परन्तु

ण्ड अधिकारी
जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई हाजिर/उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

उक्त प्रकरण मे दिनांक 05–07–2022 को अपीलान्ट की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता का मुख्य रूप से उज रहा की ग्राम पंचायत द्वारा कालूसिंह की मृत्यु के करीब 2 वर्ष बाद उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया हैं। जवकि ग्राम पंचातय द्वारा 45 दिन बाद नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान नही है। उक्त नामान्ताकरण बिना कोरम के ही अकेले सरपंच ने तस्दीक किया है। ग्राम पंचायत को किसी भी तरह की विरासत का सजरा प्रमाणित करने का एवं वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। फिर भी पूर्व सरपंच द्वारा दिंनाक 11–11–2002 को अवैध व क्षेत्राधिकार विहिन वारिस प्रमाण पत्र जारी किया है। जबकि वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। कालूसिंह की विरासत के संबंध में ग्रम पंचायत द्वारा कोई नोटिस भी जारी नही किये ना ही कोई जानकारी मजमे आम में ली गई। इस प्रकार उक्त विरासत का नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं ग्राम पंचायत के रिकार्ड का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से प्रथम दृष्ट्या यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्स संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। इसलिए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के कालूसिंह की भूमि में हित–निहित है। इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने का तो अधिकार हैं जहां तक अपीलान्ट द्वारा अपील के करीब 6 वर्ष बाद पेश किया जाने का सवाल है तो अपीलान्ट के कथन रहे है कि उक्त नामान्तकरण संख्या 1663 वाकै ग्राम डिगो के निर्णय दिनांक 07–01–2007 की जानकारी ही प्रथम बार दिनांक 28–06–2013 को पटवारी हल्का से प्राप्त हुई। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड नही है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलन्ट उक्त निर्णय की जानकारी पहले से ही प्रापत हो। ना ही ग्राम पंचायत द्वारा मजमे आम मे उक्त नामान्तकरण की कोई सूचना दी है एवं ना ही कोई नोटिस जारी किये है। इसलिए अपीलान्ट का

रखण्ड अधिकारी
...रोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner

बहस सुनी

प्रार्थना पत्र दफ 5 कानून मियाद भी स्वीकार किया जाता है। जंहां तक नामान्तकरण का सवाल है तो नामान्तकरण पंजिका से यह स्पष्ट है कि मृतक कालूसिंह की विरासत का नामान्तकरण दिनांक 28–12–2005 को भरा गया था। जबकि नामान्तकरण दिनांक 07–01–2007 को ग्राम संपर्क अभियान में करीब 1 वर्ष से भी ज्यादा समय बाद तस्दीक किया गया है। जो संदेहास्प्रद स्थित पैदा करता है। उक्त नामान्तकरण भी पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है जबकि सरपंच द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी नही किया जा सकता है। वारिसान की घोषणा का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। पटवारी हल्का द्वारा वारिसान की जांच की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज भी नामान्तकरण पंजिका में उपलब्ध नही है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष में ग्राम पंचायत डिगो द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1663 दिनांक 07–01–2007 विधि विरूद्व है। मृतक कालूसिंह पुत्र श्रीकिशन दरोगा की विरासत के संबंध मे उसके सभी हितबद्व व्यक्तियो को सुना जाकर एवं वारिसान की विस्तृत जांच करवाकर ही मृतक की विरासत का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था। इसलिए हमारी राय मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः नामान्तकरण संख 1663 तस्दीक दिनांक 07–01–2007 वाकै ग्राम डिगो निरस्त किया जाकर इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि मृतक कालूसिंह पुत्र श्रीकिशन दरोगा के वारिसान की नियमानुसार विधिवत रूप से जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25–07–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दप्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)

उपखण्ड अधिकारी लालसोट

Scanned with CamScanner